न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

कानूराम व अन्य

बनाम

हजारीमल इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री भंवरसिंह भंवरियां, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 03 से 05
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2024 अनवान किशोर बनाम हजारीमल इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 मई 2024 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 जून 2024 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 169/6 रकबा 2.4281 हैक्टेयर ग्राम सुवाना तहसील भोपालगढ पूर्व अपीलांट्स के दादा धनाराम के नाम दर्ज होने से उनकी पुश्तैनी भूमि है। अपीलांट्स के पिता हजारीमल ने दिनांक 02.02.2024 को एक ही दिन में अलग-अलग तीन रजिस्ट्रीयों के जरिये वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया, जिनकी पालना में नामांतरकरण स्वीकृत होकर नवीन खसरा नंबर 447/169, 446/169 व 448/169 बने है। अपीलांट के पिता को वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से से अधिक भूमि के बेचान का कोई अधिकार नहीं था। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के मौके पर काबिज काश्त है। अजनबी क्रेतागण वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन

करवाये अपीलांट्स को मौके से बेदखल कर भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेंट्स अपने नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड की आड़ में विवादित भूमि के बेचान करने तथा अपीलार्थीगण को जबरन बेदखल करने का एवं अजनबी खरीददार द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकिया दे रहे है। इस कारण अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 मई 2024 को निरस्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जावे।

जवाब में रेस्पो. संख्या आठ से दस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी अथवा स्वअर्जित भूमि होने के तथ्य का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है। अपीलांट्स ग्राम आसोप के निवासी है, जबकि वादग्रस्त आराजी ग्राम सुवाना की है। अपीलांट्स द्वारा केवल रेस्पोडेंट्स को ब्लेकमेल करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण का वाद बाद साक्ष्य तय होना है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में रेकर्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 448/169 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नंबर 447/169 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा नंबर 446/169 रकबा 0.8093 हैक्टेयर वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या तीन से पांच के नाम दर्ज है। अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि वादीगण का खातेदारी घोषणा संबंधी राजस्व मूल वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर है, जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य सुनवाई तय होना है। इस स्तर पर वादग्रस्त आराजी के वर्तमान रेकर्डेड खातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाने से हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर